

कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग(उत्तराखण्ड), पशुधन भवन, मोथरोवाला-देहरादून।

संख्या-21/2/नि.-5/एक(58)/आय-व्यय/2022-23 दिनांक 21 जुलाई, 2022.

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
नैनीताल/ऊधमसिंहनगर/अल्मोड़ा/बागेश्वर/पिथौरागढ़/चम्पावत/
देहरादून/पौड़ी/टिहरी/चमोली/रूद्रप्रयाग/उत्तरकाशी/हरिद्वार।

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं (अनु.-30 एवं 31) में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-774/XV-1/22-1(2)/2019, दिनांक 18 जुलाई, 2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन योजना में अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹ 534.33 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 178.11 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 356.22 लाख एवं अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि ₹ 101.07 लाख के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि ₹ 33.69 लाख के उपरान्त अवशेष धनराशि ₹ 67.38 लाख, कुल ₹ 423.60 लाख की धनराशि इस कार्यालय को अवमुक्त की गई है। इस आवंटित धनराशि को निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर प्रदिष्ट किया जा रहा है:-
(धनराशि हजार ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	स्पेशल						ट्राइबल					
		बकरी पालन		भेड़ पालन		गौ पालन		बकरी पालन		भेड़ पालन		गौ पालन	
		आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन	आवंटित इकाई	वर्तमान आवंटन
1	नैनीताल	20	1260	00	00	32	1152	00	00	00	00	00	00
2	ऊसिनगर	10	630	00	00	31	1116	06	378	00	00	11	396
3	अल्मोड़ा	43	2709	00	00	27	972	00	00	00	00	00	00
4	बागेश्वर	33	2079	08	504	30	1080	03	189	02	126	03	108
5	पिथौरागढ़	11	693	00	00	05	180	00	00	00	00	00	00
6	चम्पावत	43	2709	00	00	43	1548	00	00	00	00	00	00
7	देहरादून	34	2121	07	441	33	1164	35	2184	07	441	33	1188
8	पौड़ी	34	2142	00	00	50	1800	00	00	00	00	00	00
9	टिहरी	34	2142	20	1260	40	1440	05	315	03	189	07	252
10	चमोली	12	756	12	756	14	504	03	189	03	189	03	108
11	रूद्रप्रयाग	07	441	07	441	07	252	00	00	00	00	00	00
12	उ.काशी	08	504	08	504	20	720	03	189	03	189	03	108
13	हरिद्वार	14	882	00	00	20	720	00	00	00	00	00	00
	योग	303	19068	62	3906	352	12648	55	3444	18	1134	60	2160

उक्त आवंटित धनराशि का उपयोग उक्त योजनान्तर्गत पूर्व आवंटित बजट पत्र संख्या-1043/नि.-5/एक(58)/आय-व्ययक/2022-23, दिनांक 03 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए किया जाय। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, देहरादून को कार्यालय पत्र दिनांक 03-6-2022 से अतिरिक्त आवंटित धनराशि का समायोजन इस आवंटन में कर लिया गया है।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-30 एवं 31 के अंतर्गत संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक/मानक मद के अंतर्गत वहन किया जायेगा।
संलग्न-एलाटमेंट आई.डी.


भवदीय,

(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते-निदेशक।

संख्या- 2112 / नि.-5 / एक(58) / आय-व्यय / 2022-23 उक्त दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल / ऊधमसिंहनगर / अल्मोड़ा / बागेश्वर / पिथौरागढ़ / चम्पावत / देहरादून / पौड़ी / नरेन्द्रनगर(टिहरी) / गोपेश्वर(चमोली) / रूद्रप्रयाग / उत्तरकाशी / हरिद्वार सदर।
- 2- लेखा / पशुधन / संख्या शाखा, मुख्यालय।
- 3- पशु चिकित्साधिकारी, ग्रेड-1, MIS मुख्यालय को उक्तानुसार अनुपालनार्थ तथा बैवसाईड में अपलोड करने हेतु।
- 4- संयुक्त निदेशक, पशु प्रजनन, मुख्यालय को उक्तानुसार अनुपालन हेतु।
- 5- अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, हल्द्वानी-नैनीताल / पौड़ी।
- 6- सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग-1, सचिवालय-देहरादून।
- 7- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- गार्ड फाईल।



(महेश चन्द्र पन्त)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
कृते-निदेशक।